झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉंची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–03/2019 /रॉंची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, रॉंची।

विषयः– **बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित कुल रू0 25,00,00,000/– (रू0 पचीस करोड़) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.11.2022 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं विभागीय पत्रांक 15/योजना दिनांक 17.11.2022 के द्वारा प्राक्कलित राशि रू 89,03,23,400/– (रू0 नवासी करोड़ तीन लाख तेईस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है।

3. उक्त के आलोक में बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित हेतु स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 25,00,00,000/– (रू0 पचीस करोड़) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅंजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06– तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।

   विपत्र कोड – 43S4202021050601054‌5

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।

10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

11. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–03/2019 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–03/2019 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :–योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट पदाधिकारी/उप निदेशक/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–03/2019 /04/योजना /राँची, दिनांक– 15.05.2023

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.5.23
सरकार के सचिव